भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मात्स्यिकी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-*146

दिनांक 2 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: मछुआरों को प्रशिक्षण

*146. श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मछुआरों को संरक्षा और समुद्री सीमा से संबंधित मुद्दों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने अथवा जानकारी देने हेतु कोई प्रशिक्षण संस्थान समाहित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा कोई प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित संसद सदस्य द्वारा 02.07.2019 को पूछे गए "मछुआरों को प्रशिक्षण" संबंधी लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 146, के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा केंद्रीय मात्स्यिकी, नौवहन एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) मछुआरों के प्रशिक्षण का नोडल संस्थान है, और ये अपने नियमित मैंडेट के अलावा मछुआरों को समुद्र में मत्स्यन (फिशिंग) के दौरान सुरक्षित नौचालन (नेवीगेशन) और सी-मैनशिप के लिए समुद्री इलेक्ट्रानिक उपकरणों का संचालन जैसे समुद्री-सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसका मुख्यालय कोचीन में है, तथा इसकी दो और यूनिट क्रमशः चेन्नई और विशाखापत्तनम में हैं। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि उनका एक संस्थान "राज्य मात्स्यिकी प्रोद्योगिक संस्थान, काकीनाड़ा" भी सिफनेट के सहयोग से तटीय मछुआरों को समुद्री सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण दे रहा है।

******